संख्या- 346 /सैंतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित जिलाधिकारी (68 जनपद),
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक- 5 फरवरी, 2019

विषयः- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-249/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी, दिनांक-27.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए "उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)" के स्थान पर नियमानुसार किसी अन्य सक्षम राजकीय निर्माण एजेन्सी का चयन करते हुए उक्त कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर यह मत स्थिर हुआ है कि फील्ड स्तर पर 68 जनपदों में पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) द्वाराः-

(क) - डी.पी.आर. पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है **एवं/अथवा**

(ख) - पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था के पक्ष में धनराशि अवमुक्त की है **एवं/अथवा**

(ग) - कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य आरम्भ किया है **एवं/अथवा**

(घ) - ई-टेण्डर को अन्तिम स्वरूप दिया है ।

तो ऐसी किसी भी स्थिति में/स्तर पर कार्यदायी संस्था में परिवर्तन करने में विभिन्न अड़चनों/जटिलतायें निर्माण होंगी व निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना होगी।

3- उपरोक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक-27.01.2019 के प्रस्तर-2 से यह प्रतीत हो रहा है कि वृहद गो-संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु "पैकफेड" के स्थान पर किसी अन्य राजकीय निर्माण एजेन्सी को नामित किया जाना है। जबकि संदर्भित शासनादेश दिनांक-27.01.2019 का आशय यह है कि जहाँ जिलाधिकारी पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) के कार्य से संतुष्ट हों या उसका कार्य उपयुक्त हो अथवा ई-टेण्डरिंग कर ली गयी हो, वहाँ पर पूर्व कार्यदायी संस्था से ही कार्य पूर्ण कराया जाय। जहाँ पर पूर्व नामित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) के द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा हो या अभी प्रारम्भ नहीं किया गया हो तथा कार्यदायी संस्था कार्य करने में अक्षम पायी जा रही हो अथवा कार्यदायी संस्था को

बदलने से निर्माण कार्य सुचारू एवं त्वरित गति से हो सके वहाँ पर जिलाधिकारी अन्य किसी सक्षम राजकीय निर्माण एजेन्सी को नामित कर सकते हैं।

4- शासनादेश दिनांक-27.01.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-346(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।